

Aravind Singh

-: उपदान संदाय - अधिनियम और नियमों की संक्षिप्ती :-

1. अधिनियम का विस्तार :- इस अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है परन्तु जहां तक इसका सम्बन्ध बगानों या पत्तनों से है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं होगा। [धारा 1 (2)]

2. अधिनियम किस को लागू होता है :- यह अधिनियम (क) प्रत्येक कारखाने, खान, तेल क्षेत्र, बागान, पत्तन और रेल कम्पनी, (ख) किसी राज्य में दुकानों और संस्थानों के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थ में, प्रत्येक ऐसी दुकान अथवा संस्थापन को, जिसमें पूर्ववर्ती 12 मास में किसी दिन 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हों अथवा नियोजित थे, तथा (ग) ऐसे अन्य स्थापनों या स्थापनों के वर्ग को जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निर्मित विनिर्दिष्ट किया जाए, 10 या अधिक कर्मचारी नियोजित हों अथवा नियोजित थे, लागू होगा। [धारा 1 (3)]।

3. परिभाषाएं (क) "समुचित सरकार" से अभिप्रेत है (i) निम्नलिखित स्थापनों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार, अर्थात्:-

- (क) केन्द्रीय सरकार अथवा उसके नियंत्रणाधीन स्थापन;
- (ख) ऐसे स्थापन जिनकी एक से अधिक राज्यों में शाखाएं हों;
- (ग) केन्द्रीय सरकार को, अथवा उसके नियंत्रणाधीन कारखाने के स्थापन;
- (घ) किसी महापत्तन, खान, तेल क्षेत्र अथवा रेल कम्पनी के स्थापन;
- (ii) किसी अन्य दशा में, राज्य सरकार; [धारा 2 (क)]।
- (ख) "सेवा का संपूर्ण वर्ष" से एक वर्ष की निरन्तर सेवा अभिप्रेत है; [धारा 2 (ख)]।
- (ग) "निरन्तर सेवा" से अभिप्रेत है अविच्छिन्न सेवा और इसके अन्तर्गत वह सेवा भी जो बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, कामबन्दी, हड़ताल अथवा तालाबन्दी अथवा कार्यारोध से, जो सम्बन्धित कर्मचारी की त्रुटि के कारण न हो, विच्छिन्न हुई हो, चाहे ऐसी अविच्छिन्न या विच्छिन्न सेवा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो या पश्चात्;

स्पष्टीकरण 1 :- किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो एक वर्ष से अविच्छिन्न सेवा में नहीं है तब यह समझा जायेगा कि वह निरन्तर सेवा में है, जब वह उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान किसी नियोजक द्वारा :-

- (i) यदि किसी खान में भूमि के नीचे नियोजित हो तो कम से कम 190 दिनों के लिए; अथवा
- (ii) किसी अन्य दशा में, तब के सिवाय जब कि वह किसी मौसमी स्थापन में नियोजित हो, 240 दिन के लिए, वास्तव में नियोजित किया गया हो;

स्पष्टीकरण 2 :- किसी मौसमी स्थापन के कर्मचारी के बारे में तब यह समझा जायेगा कि वह निरन्तर सेवा में है जब उसने उन दिनों के, जिनमें वह स्थापन उस वर्ष के दौरान चालू रहा, कम से कम पचहत्तर प्रतिशत वास्तव में काम किया है; [धारा 2 (ग)]।

(घ) "नियंत्रक प्राधिकारी" से समुचित सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है; [धारा 2 (घ) देखिए]

(ङ) किसी कर्मचारी के संबंध में "कुटुम्ब" में निम्नलिखित सम्मिलित समझे जाएंगे अर्थात्:-

- (i) पुरुष कर्मचारी की दशा में, वह स्वयं, उसकी पत्नी, उसकी विवाहित या अविवाहित संतान, उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके पूर्व मृत पुत्र की यदि कोई रहा हो विधवा और संतान;
- (ii) महिला कर्मचारी की दशा में, वह स्वयं, उसका पति, उसकी विवाहित या अविवाहित संतान, उसके आश्रित माता पिता और उसके पति के आश्रित माता-पिता तथा उसके पूर्व मृत पुत्र की यदि कोई रहा हो, की विधवा और संतान;

परन्तु यदि कोई महिला कर्मचारी, नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित सूचना द्वारा, अपने पति को अपने कुटुम्ब से अपवर्जित करने की वांछा अभिव्यक्त करती है तो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, पति और उसके आश्रित माता-पिता, ऐसी महिला कर्मचारी के कुटुम्ब में सम्मिलित नहीं समझे जाएंगे जब तक कि उक्त सूचना उक्त महिला कर्मचारी द्वारा तत्पश्चात् वापस न ले ली जाये।

स्पष्टीकरण :- जहां कर्मचारी की स्वीय विधि के अधीन उसके द्वारा संतान का दत्तकग्रहण अनुज्ञात है, वहां उसके द्वारा विधिपूर्वक दत्तक गृहीत संतान उसके कुटुम्ब में सम्मिलित समझी जायेगी, और जहां किसी कर्मचारी की संतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण कर ली गई है और ऐसा दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति को स्वीय विधि के अधीन वैध है, वहां ऐसी संतान कर्मचारी के कुटुम्ब से अपवर्जित समझी जाएगी। [धारा 2 (ज)]।

4. नामनिर्देशन :- (1) प्रत्येक कर्मचारी जिसने सेवा का एक वर्ष पूरा कर लिया है, उपदान संदाय (केन्द्रीय) नियम, 1972 के प्रारम्भ के पश्चात्, सेवा के एक वर्ष की समाप्ति के तीस दिन के भीतर नामनिर्देशन करेगा। [नियम 6(1) के साथ पठित 6(1)]।

(2) यदि नामनिर्देशन के समय कर्मचारी का कोई कुटुम्ब है तो नामनिर्देशन उसके कुटुम्ब के एक अथवा अधिक सदस्यों के पक्ष में किया जायेगा, तथा ऐसे कर्मचारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन जो उसकी पत्नी नहीं है, शून्य होगा। [धारा 6(3)]।

(3) यदि नामनिर्देशन करने के समय कर्मचारी का कोई कुटुम्ब नहीं है तो नामनिर्देशन किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है, किन्तु यदि तत्पश्चात् कर्मचारी का कोई कुटुम्ब हो जाता है ऐसा तत्काल नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा और कर्मचारी 90 दिन के भीतर अपने कुटुम्ब के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में नया नामनिर्देशन करेगा। [नियम 6(3) के साथ पठित धारा 6(4)]।

(4) नामनिर्देशन या नए नामनिर्देशन या नामनिर्देशन के उपान्तरण की सूचना पर कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर, अथवा यदि वह निरक्षर है तो उस पर अंगूठे की निशानी, दो ऐसे साक्षियों की उपस्थिति में किए जाएंगे या लगाई जाएगी, जो, यथास्थिति उस नामनिर्देशन के उपान्तरण की सूचना में उस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर भी करेंगे। [नियम 6(5)]।

(5) धारा 6 की उपधारा (3) तथा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नामनिर्देशन का उपान्तरण, कर्मचारी द्वारा किसी भी समय, नियोजक को ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देने के पश्चात् किया जा सकेगा। [धारा 6(5)]।

(6) नामनिर्देशन या नया नामनिर्देशन या नामनिर्देशन के उपान्तरण सूचना, नियोजक द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगी। [नियम 6(6)]।

5. उपदान के लिए आवेदन :- (1) कोई कर्मचारी जो अधिनियम के अधीन उपदान के संदाय के लिए पात्र है अथवा उसकी ओर से कार्य करने के लिए निम्नलिखित रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति सामान्यतः उस तारीख से जिसको उपदान सदैव हो जाता है, तीस दिन के भीतर आवेदन करेगा;

परन्तु जहां कर्मचारी की अधिवाधिकारी या सेवा-निवृत्त की तारीख ज्ञात है, वहां कर्मचारी अधिवाधिकारी या सेवा-निवृत्त की तारीख के तीस दिन पहले नियोजक को आवेदन कर सकेगा। [नियम 7(1)]।

(2) कर्मचारी का नाम निर्देशनी, जो उपदान के संदाय के लिए पात्र है, सामान्यतः उस तारीख से जिसको उपदान उसे संदेय हुआ था, तीस दिन के भीतर नियोजक को आवेदन करेगा। [नियम 7(2)]।

(3) कर्मचारी का विधिक वारिस जो उपदान के संदाय के लिए पात्र है, सामान्यतः उस तारीख से जिसको उपदान उसे संदेय हुआ था, एक वर्ष के भीतर नियोजक को आवेदन करेगा। [नियम 7(3)]।

(4) ऊपर विनिर्दिष्ट अधिवाधिकारी को समाप्ति के पश्चात् फाइल किया गया उपदान के संदाय के लिये आवेदन भी नियोजक द्वारा ग्रहण किया जायेगा, यदि आवेदक विलम्ब के लिये पर्याप्त हेतुक देता है। [नियम 7(5)]।

6. उपदान का संदाय :- (1) कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा कर लेने के पश्चात् कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान पर उसको-

- (क) उसका अधिवाधिकारी पर, अथवा
- (ख) उसकी निवृत्ति या पद त्याग पर, अथवा
- (ग) किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण उसकी मृत्यु अथवा निशकता पर,

उपदान संदेय होगा।

परन्तु पांच वर्ष निरन्तर सेवा का पूरा होना उस दशा में आवश्यक न होगा जहां किसी कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान का कारण उसकी मृत्यु या निशकता है।

निशकता से ऐसी निशकता अभिप्रेत है, जो किसी कर्मचारी को उस कार्य के लिए असमर्थ बना देती है जिसे वह उस दुर्घटना या रोग के परिणाम स्वरूप निःशकता हुई है, करने के लिये समर्थ था। [धारा 4(1)]।

(2) नियोजक कर्मचारी को सेवा के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष के लिए अथवा 6 मास से अधिक के उसके रोग के लिए, सम्बद्ध कर्मचारी द्वारा सबसे अंत में प्राप्त की गई मजदूरी की दर पर आधारित 15 दिनों की मजदूरी की दर से उपदान देगा। परन्तु मात्रानुपाती दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी की दशा में, दैनिक मजदूरी उसके नियोजन के पर्यवास के ठीक पूर्ववर्ती तीन मास की कालावधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल मजदूरी की औसत पर संगणित की जाएगी, और इस प्रयोजन के लिए, किसी अतिकालिक कार्य के लिए संदेय मजदूरी गणना में नहीं ली जायेगी;

परन्तु यह और कि मौसमी स्थापन में नियोजित कर्मचारी की दशा में नियोजक प्रत्येक मौसम के लिए सात दिन की मजदूरी की दर से उपदान का संदाय करेगा [धारा 4(2)]।

(3) कर्मचारी को संदाय उपदान की रकम दोस मास की मजदूरी से अधिक नहीं होगी [धारा 4(3)]।

7. उपदान का समापहरण :- (1) जिस कर्मचारी को सेवाएं उसके किसी ऐसे कार्य या जानबूझकर किए गए ऐसे लांप उपेक्षा के कारण जिनसे कि नियोजक की सम्पत्ति की हानि, नुकसान अथवा विनाश हुआ है, समाप्त कर दी गई है, उसका उपदान इस प्रकार हुए नुकसान या हानि को मात्रा तक समपहत कर लिया जायेगा।

(2) कर्मचारी को संदेय उपदान पूर्णतः समपहत कर लिया जायेगा,

(क) यदि ऐसे कर्मचारी को सेवाएं उसके बलवात्मक अथवा उपद्रवी आचरण अथवा उसकी ओर से किए गए किसी अन्य हिंसात्मक कार्य के कारण समाप्त कर दी गई है, अथवा

(ख) यदि ऐसे कर्मचारी को सेवाएं किसी ऐसे कार्य के कारण समाप्त कर दी गई हैं जो नैतिक अक्षमता वाला अपराध है, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा ऐसा अपराध अपने नियोजन के दौरान किया जाता है। [धारा 4(6)]।

8. स्थापन के खोलने, परिवर्तन या बंद करने की सूचना :- (1) कारबार के नाम, पते, नियोजक या प्रकृति में किसी परिवर्तन के तीस दिन के भीतर नियोजक द्वारा उस क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारी को उसकी सूचना भेजी जायेगी [नियम 3(2)]।

(2) जहां नियोजक कारबार को बंद करने का आशय रखता है, वहां वह उस क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारी को आशयित बंदी के काम से कम साठ दिन के पहले सूचना भेजेगा [नियम 3(3)]।

9. नियंत्रक प्राधिकारी को निदेश के लिये आवेदन :- यदि कोई नियोजक -

(i) उपदान के संदाय के लिये नामनिर्देशन स्वीकार करने या आवेदन ग्रहण करने से इंकार करता है, अथवा

(ii) या तो उपदान की वह रकम विनिर्दिष्ट करने वाली जो आवेदक द्वारा उससे कम समझी जाती है, या जो संदेय है, या उपदान के संदाय की पात्रता अस्वीकृत करने वाली सूचना जारी करता है, अथवा

(iii) उपदान के संदाय के लिये आवेदन प्राप्त करके 15 दिन के भीतर सूचना जारी करने में असफल रहता है, तो यथास्थिति, दावेदार, कर्मचारी नाम निर्देशित या विधिक वारिस आवेदन के लिये हेतुक चिह्नित होने के 90 दिन के भीतर, नियंत्रक प्राधिकारी को धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन निदेश, उतनी अतिरिक्त प्रतियां सहित जितने कि विरोधी पक्षकार हैं, जारी करने के लिये आवेदन कर सकेगा।

परन्तु यदि नियंत्रक प्राधिकारी, आवेदक द्वारा पर्याप्त हेतुक दर्शित किये जाने पर, किसी आवेदन को 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वीकार कर सकेगा। [नियम 10]।

10. अपील :- नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर उस क्षेत्र के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, अपील कर सकेगा।

परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों में साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील नहीं कर सका था, तो वह उक्त अवधि को साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा। [धारा 7(7)]।

11. केन्द्रीय क्षेत्र में अधिनियम या नियमों के प्रवर्तन के लिए कार्यप्रणाली :- सभी सहायक श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) को नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में और सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) अपील प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त कर दिया गया है।

12. नियंत्रक प्राधिकारी की शक्तियां :- नियंत्रक प्राधिकारी को किसी कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम के बारे में, अथवा उपदान के संदाय के लिये किसी कर्मचारी के, या उसके संबंध में, किसी दावे की अनुज्ञेयता के बारे में, अथवा उस व्यक्ति के बारे में जो उपदान प्राप्त करने के लिये हकदार है, जांच करने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विषयों की बाबत ही शक्तियां होंगी जो न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निहित हैं, अर्थात् :-

- (क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; और
- (घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। [धारा 7(5)]।

13. उपदान की वसूली :- यदि संदेय उपदान की रकम नियोजक द्वारा, विहित समय के भीतर उसके हकदार व्यक्ति को संदेय नहीं की जाती है, तो नियंत्रक प्राधिकारी, व्यक्ति व्यक्ति द्वारा उसे इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, कलक्टर को उस रकम के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, जो विहित समय के अवसान की तारीख से उस पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज सहित उसकी वसूली पूरा-राजस्व की बकाया के रूप में करेगा तथा उसे उसके हकदार व्यक्ति को संदेय करेगा (धारा 8)।

14. उपदान का संरक्षण :- उपदान संदाय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई उपदान किसी सिविल, राजस्व या दण्ड न्यायालय की किसी डिफ्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किये जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा। [धारा 13]

15. अपराधों के लिये शास्तियां :- (1) जो कोई, किसी ऐसे संदाय से बचने के प्रयोजनार्थ जो उसे करना है, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे संदाय करने से बचने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ जान बूझकर कोई मिथ्याकथन अथवा मिथ्या व्यपदेशन करेगा/अथवा कराएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माना से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। [धारा 9(1)]।

(2) वह नियोजक जो अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करेगा अथवा उसके अनुपालन में व्यतिक्रम करेगा, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा;

परन्तु जहां अपराध उपदान संदाय अधिनियम के अधीन संदेय उपदान के अंशदान से संबंधित है, वहां नियोजक, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की न होगी, दण्डनीय होगा, सिवाय तब के जब अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे इस राय का हो कि कम अवधि के कारावास से या जुर्माने के अधिरोपण से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जायेगी [धारा 9(2)]।

16. सूचना का प्रदर्शन :- नियोजक स्थापन के मुख्य द्वार पर या उसके निकट अंग्रेजी में और उस भाषा में जो कर्मचारियों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाती है, मोटे अक्षरों में एक सूचना, सहज दृश्य रूप में प्रदर्शित करेगा जिसमें पदाभिदान सहित उस प्राधिकारी का नाम विनिर्दिष्ट होगा जो नियोजक द्वारा उपदान संदाय अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसकी ओर से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है (नियम 4)

17. अधिनियम और नियमों की संक्षिप्त :- नियोजक उपदान संदाय अधिनियम और उसके बनाए गए नियमों की संक्षिप्त अंग्रेजी में और उस भाषा में बहुसंख्या द्वारा समझी जाती है, स्थापन के मुख्य द्वार पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा। (नियम 20)।